F.-1/एकीकृत जांच फार्म–1
पृष्ट – 1

FIRST INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)चूरू.P.S(थाना)..**सीपीएसजयपुर**Year(वर्ष).**2023**..FIRNo.(प्रसूरिस)..165/23..../.....Dateदिनांक). 27/6/23

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित2018) Sections(धाराऐं). .... 7..............

(ii) Act (अधिनियम)........... .... Sections (धाराऐं).................. ....

(iii) Act (अधिनियम)...........................Sections (धाराऐं)...

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2023 Date 26.6.2023 to (दिनांक तक) Time Period (पहर) ....8.11 AM....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या)..454 Time(समय).. 7:15 P.M.

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 35 KM दक्षिण .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) . पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)

Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्री संजय कुमार सैनी/उमेश कुमार/राकेश कुमार ....

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता/पति का नाम) ....

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...32 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. व्यापार ... ..

(g)(छ) Address (पता) निवासी चमडिया कॉलेज के पास फतेहपुर जिला सीकर

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री शब्बीर हुसैन पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी कासली पुलिस थाना धोद जिला सीकर हाल हैड कानि नं0 169 पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।

[signature]

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).......शून्य...

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ..Trap Rs 05,000 ....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक
ACB चूरू

विषयः– फतेहपुर कोतवाली के मुन्शी जी शब्बीर खान को रिश्वत लेते पकडवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै संजय कुमार सैनी S/o पवन कुमार सैनी नि. वार्ड नं. 51 फतेहपुर चमडिया कॉलेज के पास का निवासी हूँ दिनांक 15/06/23 को मेरे पडौसी सम्पत सोनी से बन रही रोड को लेकर आपस में कहा सुनी धक्का मुक्की हो गई। धक्के से सम्पत सोनी के गिरने से मामूली चोट आ गई। सम्पत सोनी ने मेरे व उमेश सैनी के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट करा दी जिसकी जांच मुन्शी शब्बीर खान के पास हैं दिनांक 19.06.23 को मै व उमेश सैनी थाने पर गये तो उन्होने कहा कि अपने साले राकेश को भेज देना और खर्चे के 15000रूपये भेज देना। मुकदमा कमजोर कर दुंगा नही तो आपको महीने–दो महीना अन्दर रहना पडेगा हमारे बीच झगडा मामुली बात को लेकर हुवा किसी के कोई चोट नही आई मुन्शी शब्बीर खान हमसे नाजायज रिश्वत की मांग कर रहा हैं शब्बीर खान मुन्शी रिश्वत में साले राकेश सैनी से लेने और उनसे ही बात करेगें। इसलिए रिश्वत लेते हुए पकडवाने की कार्यवाहि भी मेरे साले राकेश जी से ही करवाना चाहते हैं हमारी मुन्शी शब्बीर खान से कोई रंजिश नही है ओर नाहि कोई उधार का लेनदेन बाकि है रिपोर्ट करते है कार्यवाही करने की कृपा करे

दिनांक 23.06.2023

प्रार्थी
–:एसडी:–
श्री संजय कुमार सैनी S/o पवन कुमार सैनी
वार्ड नं. 51 चमडिया कॉलेज के पास
फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)
8769307685

एसडी
उमेश कुमार सैनी
एसडी
राकेश कुमार

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री सजंय कुमार सैनी पुत्र श्री पवन कुमार सैनी उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं0 51 चमडिया कॉलेज के पास फतेहपुर थाना फतेहपुर कोतवाली जिला सीकर ने बमुकाम फतेहपुर बुघगिरी जी की मढी मंदिर परिसर पर श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चूरू को पेश की। जिनके साथ हमराह उमेश कुमार पुत्र पन्नालाल सैनी निवासी वार्ड नं0 51 फतेहपुर व श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामनिवास जी सैनी उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नं0 03 नेहरू मौहल्ला रामगढ शेखावाटी जिला सीकर भी है। श्री राकेश कुमार ने संजय कुमार का रिस्ते में साला होना बताया। मजमून रिपोर्ट से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का होना पाया जाता है। अतः रिश्वत मांग का सत्यापन कराया जावेगा। उपस्थित कानि श्रवण कुमार न0 79 एसीबी चौकी चूरू तलविदा उपस्थित है जिससे परिवादीगण से आपस में परिचय करवाया गया एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाई गई एवं राकेश कुमार को कानि श्रवण कुमार के साथ रवाना कर हिदायत मुनासिफ कर रवाना किया गया। दिनांक 23.06.2023 समय 10.00 एएम। वक्त 12.30 पीएम पर उप अधीक्षक पुलिस बाद साक्ष्य फतेहपुर कोर्ट से हाजिर चूरू चौकी आया।

वक्त 1.30 पीएम पर श्री श्रवण कुमार कानि हाजिर चूरू चौकी आया, कानि ने वार्ता का टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै निर्देशानुसार श्री राकेश कुमार व सजयं कुमार

के साथ पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर गया। परिवादी राकेश कुमार व संजय कुमार ने कहा कि टेप रिकॉर्डर हमे दे दो, शब्बीर जी मिल गये तो हम चालु कर लेगें। इस पर मैने संजय कुमार को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर दोनो को पुलिस चौकी के लिए रवाना किया। कुछ देर बाद दोनो वापस आये व बताया कि चौकी में पूछने पर पता चला कि शब्बीर जी आज छुटटी पर है कल आयेगें। इसलिए मैने टेप रिकॉर्डर चालु नही किया। कल शब्बीर जी के आने पर वार्ता होगी। इस पर मैने सजंय से टेप रिकॉर्ड प्राप्त कर परिवादी को कल फतेहपुर में मिलने की कह कर फतेहपुर से रवाना होकर हाजिर आया हूँ।

दिनांक 24.06.2023 को श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस ने टेप रिकॉर्डर व उसमें डले हुऐ मेमोरी कार्ड को खाली होना सूनिश्चत किया जाकर टेप रिकॉर्ड कानि श्रवण कुमार को सुपुर्द कर परिवादी संजय कुमार से फतेहपुर पहुच सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिए रवाना फतेहपुर किया गया। वक्त 1.30 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर चौकी आया व वार्ता का टेप रिकॉर्डर उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि मै फतेहपुर में छतरिया बस स्टैण्ड पर पंहुचा जहां परिवादी संजय कुमार व राकेश कुमार पूर्व वार्तानुसार हाजिर मिलें। हम तीनो परिवादी की मोटर साईकिल से पुलिस चौकी फतेहपुर से थोडा पहले रूक कर मैने टेप रिकॉर्ड चालु कर राकेश कुमार को सुपुर्द कर दोनो को पुलिस चौकी भेजा गया। करीब आधा–पौन घण्टे बाद दोनो परिवादी मेरे पास आये जिस पर मैने टेप रिकॉर्डर लेकर बंद किया। परिवादी ने बताया कि हम चौकी में गये वहां पर शब्बीर जी नही थे तो हमने फोन से शब्बीर जी से वार्ता की तो उसने बताया कि मै आज थाना कोतवाली फतेहपुर में डयुटी पर हूँ आप यंही आ जाओ। इस पर हम दोनो कोतवाली थाना में गये जहां पर शब्बीर जी हमें मिले। राकेश ने बताया कि मैने शब्बीर जी से मेरे बहनोई संजय के विरूद्ध दर्ज मुकदमें के सम्बधं में वार्ता तो शब्बीर जी ने कहा कि राकेश अकेले का मुचलका क्या भरना है कल राकेश व उमेश दोनो को साथ ले आना, दोनो के साथ ही मुचलके भर लुंगा तथा मैने खर्चे के बारे में कहा कि आपने 10 हजार रूपये का कहा था, परन्तु आज तो 5 हजार रूपये ही बने है वो आप ले लो मेरे जेब में हैं। जिस पर शब्बीर जी ने मेरी जेब से पांच हजार रूपये निकाल कर अपने पास रख लिये। मैने कहा कि कल मै संजय व उमेश को लेकर आउंगा तब आपके बतायेनुसार पांच हजार रूपये और लाकर दे दूंगा। निर्देशानुसार परिवादीगण को फतेहपुर ही छोडकर मै चूरू आया हूँ। श्रवण कुमार के द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो कानि के द्वारा बतायेनुसार तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, परन्तु संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत की स्पष्ट मांग नही की है सिर्फ परिवादी ही बता रहा है कि दस का कहा था पांच दे रहा हूँ। इसलिए मांग सत्यापन पुनः करवाया जाना जरूरी है जिस पर परिवादी राकेश कुमार से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो परिवादी राकेश कुमार ने कानि श्रवण कुमार के द्वारा बतायी गई बातो को दोहराते हुऐ बताया कि मै कल पुनः जाकर शब्बीर जी से वार्ता कर सकता हूँ। जिस पर परिवादी राकेश कुमार को आवश्यक निर्देश दिये गये। अब तक के समस्त हालात, परिवादी की रिपोर्ट एवं दिगर कागजात मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी संजय कुमार की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2023 एवं दिगर कागजात तथा वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट, रनिग नोट का अवलोकन किया गया तथा अब तक की परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो उपरोक्त तथ्य सही पाये गये। आईन्दा सुबह कानि श्रवण कुमार को फतेहपुर भेजकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग हेतु आरोपी से स्पष्ट वार्ता करवाकर सत्यापन करवाया जावेगा।

दिनांक 25.06.2023 को कानि श्रवण कुमार को आवश्यक हिदायत कर परिवादी संजय कुमार से फतेहपुर पहुच सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिए मय टेप रिकॉर्डर रवाना फतेहपुर किया गया। बाद सत्यापन वार्ता कानि श्रवण कुमार हाजिर चौकी आया व वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि मै फतेहपुर में छतरिया बस स्टैण्ड पर पंहुचा जहां परिवादी संजय कुमार व राकेश कुमार तथा उमेश पूर्व वार्तानुसार हाजिर मिलें। मैने टेप रिकॉर्ड चालु कर राकेश कुमार को सुपुर्द किया तथा वो तीनो संजय की मोटरसाईकिल से चौकी के लिए रवाना हो गये। करीब दो घण्टे बाद राकेश कुमार एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाईकिल पर बैठ कर मेरे पास आया। मैने राकेश कुमार से टेप रिकॉर्डर लेकर बंद किया। राकेश कुमार ने बताया कि हम तीनों पुलिस चौकी में गये

Mohtlig

वहां पर कुछ देर बाद शब्बीर जी आये व कहा कि चलो कोतवाली चलते है। इस पर हम कोतवाली चले गये। शब्बीर जी अपने कोई अन्य काम में लगे रहे। बाद में मैने शब्बीर जी को बुलाया और उमेश ने शब्बीर जी को कहा कि साहब कितने देने है पांच हजार तो कल आपको दे दिये, तो शब्बीर जी ने कहा कि इनको (राकेश) 15 हजार का कहा था इन्होने 10 हजार में बात तय की थी। तब उमेश ने कहा कि आपको दो–तीन हजार रूपये और दे देगें इतना बडा मुकदमा नही है तो शब्बीर जी ने कहा कि नही दस हजार की बात हुई थी इससे कम नही होगें। पांच हजार रूपये कल लाकर दे देना। उमेश व संजय कुमार को शब्बीर जी ने 151 की कार्यवाही के लिए थाने में ही बैठा लिया। कहा कि दोनो को एसडीएम के पेश कर आज जमानत करवा दुंगा। मेरे को पांच हजार रूपये लेकर कल सुबह आठ बजे शब्बीर जी ने बुलाया हैं। निर्देशानुसार परिवादीगण को शाम को चौकी चूरू पंहुचने की कहकर मै चूरू आया हूँ। श्रवण कुमार के द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो कानि के द्वारा बतायेनुसार तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द तैयार की जावेगी।

वक्त 6.30 पीएम पर परिवादी राकेश कुमार व उमेश कुमार हाजिर कार्यालय आये व अपने द्वारा दिनांक 23.06.23 को पेश की गई रिपोर्ट व दिनांक 24.06.2023 व दिनांक 25.06.2023 को कानि श्रवण कुमार के द्वारा बताये गये तथ्यों को दोहराया व बताया कि शब्बीर जी हैड साहब ने राकेश कुमार को कल सुबह आठ बजे पांच हजार रूपये लेकर बुलाया हैं। ट्रेप के आयोजन हेतु दो सरकारी कर्मचारी श्री प्रदीप कुमार नर्सिग अधिकारी, श्री सन्ने सिंह नर्सिग अधिकारी पं0 दीनदयाल उपाध्याय मैडिकल कॉलेज चूरू तलविदा हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो कर्मचारियों को परिवादीगण के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों को परिवादीगण से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादीगण ने सही होना बताया। परिवादीगण व आरोपी श्री शब्बीर हैड कानि के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2023 व 25.06.2023 जो टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादीगण व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार करवायी गई जिसमें से एक डीवीडी आरोपी के लिए कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क A-1' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। टेप रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड को उसके रैपर में डालकर मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'A' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवा कर जमा मालखाना करवाया गया।

परिवादीगण श्री राकेश कुमार व उमेश सैनी को पांच हजार रूपये रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 26.06.2023 को सुबह 5.00 एएम पर साथ लेकर आने की हिदायत कर रूख्स्त दी गई तथा दोनो गवाहान को सुबह 5.00 एएम पर चौकी उपस्थित होने के निर्देश देकर रूख्सत दी गई।

दिनांक 26.06.2023 को परिवादी राकेश कुमार व उमेश कुमार हाजिर कार्यालय आये व बताया कि पांच हजार रूपये रिश्वती राशि साथ लेकर आयें हैं। दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रदीप कुमार नर्सिग अधिकारी, श्री सन्ने सिंह नर्सिग हाजिर चोकी आये। दोनो गवाहों के समक्ष परिवादी श्री उमेश कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले पांच हजार रूपये (पांच–पांच सौ के दस नोट)भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8FV 346063
2.	———— ————————	4VD 779716
3.	———— ————————	8PU 668363
4.	———— ————————	2HW 322249
5.	———— ————————	5RC 484451
6.	———— ————————	4FP 809389
7.	———— ————————	8GH 916060
8.	———— ————————	8QT 032001
9.	———— ————————	7DV 445569
10.	———— ————————	1UE 954534

[signature]

उक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। श्री उमेश कुमार के कहे अनुसार कि श्री शब्बीर खा रिश्वत के सम्बधं में सारी बात राकेश कुमार से ही की है तथा वह पैसे भी इनसे ही लेगा। जिसकी ताईद हाजिर राकेश कुमार ने भी की है। इसलिए सहपरिवादी राकेश कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री प्रदीप कुमार से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक सामान नहीं पाया गया। उपरोक्त रिश्वती राशि को राकेश कुमार के पहनी पेंट की दाहीनी जेब में श्री प्रवीण कुमार से रखवाई गई। उमेश कुमार व राकेश कुमार को हिदायत की गई कि सदिग्ध द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री प्रवीण कुमार के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा श्री प्रवीण कुमार के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। दृष्टान्त में प्रयुक्त काच के गिलास व चमच्च को कार्यालय में रखवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। नये कांच के गिलास व नई चमच्च ट्रेप बॉक्स में रखे गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। राकेश कुमार को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के टेप रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व टेप रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर सुपूर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए राकेश कुमार व उमेश कुमार के पास उनका मोबाईल उनके पास रहने दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादीगण राकेश कुमार, उमेश कुमार मय स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप कुमार व श्री सन्ने सिंह तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह सहायक उप निरीक्षक, रिपेन्द्र सिंह, राजपाल सिंह, श्रवण कुमार, राजकुमार कुमार, बसन्त सिंह, राकेश कुमार, दीपेश कुमार कानिगण व श्री प्रमोद पूनियां कनिष्ठ सहायक के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर सरकारी वाहन मय चालक हिम्मत सिंह तथा प्राईवेट वाहन संख्या आरजे 10 यूए 9251 मय चालक सुभाष चन्द्र, श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान को इमदाद हेतु हमराह लेकर वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना फतेहपुर के लिए हुआ। श्री प्रवीण कुमार कानि 36 को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो परिवादीगण मय दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के फतेहपुर कस्बा स्थित पुलिस चौकी से पहले पंहुच गाडियों को साईड में रूकवाया गया। परिवादीगण को उनके स्वयं की मोटर साईकिल से पुलिस चौकी की तरफ रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ आस–पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

परिवादी श्री राकेश कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा वक्त 08.11 एएम पर अपने मोबाईल से मिस कॉल करने पर मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान मय ट्रेप दल सदस्यो के कस्बा पुलिस चौकी के मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो सामने खुलते चौकी के कार्यालय कक्ष में परिवादी राकेश कुमार व एक अन्य व्यक्ति बैठे है तथा परिवादी श्री उमेश कुमार उनके पास खडा हैं। परिवादी राकेश कुमार ने अपने पास कुर्सी पर तौलिया बांधे बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं शब्बीर जी है जिन्होने अभी–अभी मेरे से यहां बैठे–बैठे ही 5,000रूपये रिश्वत के अपने दाहीने हाथ में लेकर बिना गिने ही सामने टेबल की दराज में रख लिये, जिस पर मैने आपको मिस कॉल कर ईशारा किया। इस पर परिवादी राकेश कुमार से रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया व परिवादी द्वारा बताये गये इस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व अपना नाम शब्बीर हुसैन हैड कानि 169/प्रभारी पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर होना बताया। शब्बीर हुसैन को परिवादी राकेश कुमार से 5,000रूपये रिश्वत लेने बाबत पूछा तो शब्बीर हुसैन कुछ

नही बोला व इधर–उधर देखने लगा, पुनः तसल्ली से पुछा तो शब्बीर हुसैन ने बताया कि राकेश कुमार अभी उमेश के साथ मेरे पास आया व कुर्सी पर बैठ कर मुझे कुछ रूपये देने लगा कि यह खर्चा है रख लो, मैने मना किया तो राकेश कुमार ने मेरी मेज की दराज में कुछ रूपये रख दिये। इस पर हाजिर परिवादी राकेश कुमार ने स्वतः बताया कि शब्बीर जी झूठ बोल रहे है। मेरे बहनोई संजय कुमार सैनी व उसके भाई उमेश के विरूद्ध कोतवाली फतेहपुर में दर्ज मुकदमे को कमजोर कर मदद करने के लिए पहले 15,000रूपये रिश्वत के मांगे थे। दिनांक 24.06.2023 को हमारी बात 10,000रूपये में तय हुई थी। जिस पर 5,000रूपये मैने उसी दिन शब्बीर जी को दे दिये व शेष 5,000रूपये रिश्वत के आज पुलिस चौकी में मेरे को बुलाने पर चौकी में आकर मैने दिये तो शब्बीर जी ने रूपये अपने दाहीने हाथ में लेकर अपनी मेज की दराज में रख लिये। हाजिर उमेश कुमार ने पूछने पर परिवादी राकेश कुमार के उपरोक्त कथनों की ताईद की। गवाह श्री प्रदीप कुमार से उक्त मेज की दाहीनी दराज को खोलकर देखा गया तो दराज के कौने में पांच सौ–पांच सौ रूपये के नोट रखे हैं। शब्बीर हुसैन के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी शब्बीर हुसैन का दायां व बांया हाथ क्रमशः राजकुमार व दीपेश कुमार कानिगण ने कलाईयों से पकड लिया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में कांच के नये दो साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R–1, R–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी शब्बीर हुसैन हैड कानि के बायें हाथ की अंगूलियों को ही डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिर्वतीत रहा। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L–1, L–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर गवाह प्रदीप कुमार ने टेबल की दराज में रखे पांच–पांच सौ रूपये के नोटो को उठवा कर गिनवाया गया तो 5,000रूपये पाये गयें। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाकर नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी शब्बीर हुसैन हैड कानि के कार्यालय कक्ष की टेबल की दाहीनी दराज जहां जहां रिश्वती राशि रखी थी उस स्थान को सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में छोटे कपडे के टुकडे को डूबोकर उस स्थान को दो–तीन बार पौंछ कर वापिस गिलास में निचोडा गया तो धोवन का रंग बहुत हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क T–1, T–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। रिश्वती राशि बरामदगी स्थान के धोवन में प्रयुक्त कपडे को सुखाकर उस पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कपडे को एक लिफाफे में सील्ड कर मार्क B अंकित कर वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। परिवादी राकेश कुमार के बहनोई संजय कुमार व उसके भाई उमेश कुमार के कार्य बाबत पूछने पर श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि ने बताया कि दिनांक 15.06.2023 को संजय कुमार व उमेश कुमार के विरूद्ध मारपीट का मुकदमा नं0 113/2023 कोतवाली फतेहपुर थाने पर दर्ज हुआ था। जिसकी तफतीश मैने की थी। मेरी तफतीश से संजय कुमार व उमेश कुमार दोनो मुल्जिम बनने पर मैने दोनो के जमानत मुचलके भर कर पत्रावली चार्जशीट कता करने हेतु दिनांक 21.06.2023 को श्रीमान एसएचओ साहब कोतवाली फतेहपुर को सुपुर्द कर दी थी जिसमें उक्त दोनो के विरूद्ध दिनांक 21.06.2023 को चार्जशीट कता की जा चुकी है चालान पेश न्यायालय अभी तक नही किया गया हैं। दिनांक 24.06.2023 को राकेश कुमार मेरे पास आया था और चालान के बारे में पूछ रहा था तो मैने कहा था कि सोमवार को चालान पेश कर देगें। मैने राकेश कुमार से इस मुकदमें के सम्बधं में ना तो खर्चे के बतौर राशि की मांग की और ना ही मैने कोई राकेश से प्राप्त किये थे। कल दिनांक 25.06.2023 को राकेश कुमार मेरे से कोतवाली में मिला था। वह सजयं व उमेश कुमार की 151 सीआरपीसी में जमानत के बारे में पुछा था। मैने राकेश कुमार व उमेश कुमार से कल कोई पैसे मांग कर लेने की बात

मदनसि

नही की थी। पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर से मुकदमा नम्बर 113/2023 की पत्रावली तलब की गई जिसे लेकर थानाधिकारी श्री गुर भूपेन्द्र सिंह हाजिर आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो श्री सम्पत सोनी निवासी फतेहपुर के द्वारा दिनांक 15.06.2023 को उमेश कटारिया व सजय सैनी के विरूद्ध मारपीट की रिपोर्ट पेश करने पर थानाधिकारी द्वारा प्रथम सूचना संख्या 113/2023 धारा 341, 323 भादस में दर्ज कर तफतीश श्री शब्बीर खान हैड कानि 169 को सुपुर्द की गई हैं। जिस पर हैड कानि शब्बीर हुसैन द्वारा अनुसंधान कर उमेश व संजय कुमार के विरूद्ध जुर्म धारा 341, 323 भादस प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी श्री गुर भूपेन्द्र के पेश करने पर दिनांक 21.06.2023 को चार्जशीट नम्बर 70 कता की गई हैं। चालान पेश न्यायालय किया जाना शेष है। उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां जप्त कर मूल पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की गई। थानाधिकारी श्री गुर भूपेन्द्र सिंह ने पत्रावली में हुई उक्त कार्यवाही की ताईद करते हुऐ बताया कि श्री शब्बीर खान हैड कानि के द्वारा बाद अनुसंधान पत्रावली दिनांक 21.06.2023 को पेश की जिस पर मेरे द्वारा एपीपी से राय प्राप्त कर श्रीमान सीओ साहब से चालानी आदेश प्राप्त कर उसी रोज चार्जशीट कता की थी। दिनांक 21.06.23 को मैने चार्जशीट कता कर चालान पेश करने बाबत पत्रावली कोर्ट पैरोकार श्री सांवरमल कानि को सुपुर्द कर दी थी। इस मुकदमें की तफतीश श्री शब्बीर हुसैन हैडकानि द्वारा की गई हैं। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की गई।

परिवादीगण व आरोपी श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि के मध्य वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता जो टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादीगण व गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार करवायी गई जिसमें से एक डीवीडी आरोपी के लिए कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'C-1' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। टेप रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड को रैपर में डालकर मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'C' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये।

परिवादीगण व गवाहान के सामने घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर आरोपी श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि को हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर–18 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पीतल की सील को जरिये फर्द नष्ट किया गया। परिवादीगण को फतेहपुर में रूखस्त कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान व जाप्ता तथा गिरफतार मुल्जिमान शब्बीर हुसैन के तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त वजह सबूत हमराह लेकर जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन से फतेहपुर से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचा। ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह सबूत जरिये गिरधारी सिह प्रभारी मालखाना के जमा मालखाना कराये गये। दोनो गवाहान को रूखस्त दी गई। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि श्री सम्पत सोनी निवासी फतेहपुर की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर में दिनांक 15.06.2023 को श्री उमेश सैनी व संजय कुमार निवासी फतेहपुर के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 113/2023 अन्तर्गत धारा 323, 341 भादस में दर्ज कर अनुसंधान श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि 169 पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर के सुपुर्द किया गया। श्री शब्बीर हुसैन ने उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण को तलब कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की कही जिस पर सजय कुमार के साले श्री राकेश कुमार द्वारा शब्बीर हुसैन से सम्पर्क कर वार्ता की तो शब्बीर हुसैन ने राकेश कुमार से मुकदमें को कमजोर कर मदद करने की एवज में पद का दुरूपयोग करते हुऐ अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न दस हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा सत्यापन के दौरान दिनांक 24.06.2023 को पांच हजार रूपये रिश्वत के राकेश कुमार से प्राप्त किये तथा शेष पांच हजार रूपये रिश्वत के परिवादी राकेश से दिनांक 26.06.2023 को पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर में अपने कार्यालय कक्ष में प्राप्त कर अपनी मेज की दराज में रख लिये, जिस पर श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि 169 को रंगे हाथों पकड़ा जाकर रिश्वती राशि उसकी

मेंज की दराज से बरामद की गई। श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि 169 का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री शब्बीर हुसैन हैड कानि नं0 169 पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र. नि. ब्यूरो चूरू।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शब्बीर हुसैन पुत्र मजीद खान, हैड कानि. नम्बर 169, पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 165/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 1236-39 दिनांक 27.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2,जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, सीकर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

27.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।